रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 1973/अग्रहायण 26, 1895
No. 435] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 1973/AGRAHAYANA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th December 1973

S.O. 783(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty second Amendment Order, 1973.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, Schedule I, Part 'B', the following entry shall be made after item No. 114:—

"115—Phenol".

[No. E(C)O,1968/AM(112).]

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1973

एस० ओ० 783(अ).—आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) बाईसवां संशोधन आदेश, 1973 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968, अनुसूची 1, भाग "बी" में मद संख्या : 114 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी :—

"115—फीनोल" ।

[सं० ई० (सी०) ओ० 1968/ए० एम० (11 2)

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973